## न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–३६/२०१७

सरकार ..................................बनाम.......................संजय कुमार आदि।

अपराध सं.१३०/२०१६

धारा–३९४,३१६,४११ भा०दं०सं०।

थाना–डेरापुर, कानपुर देहात।

### आरोप

मैं ,विजेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)आप संजय कुमार, रामदास शंखवार, को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ।

१. यह कि दिनांक १८.०५.२०१६ को समय १२.३० बजे स्थान लडुवापुर, थाना डेरापुर, कानपुर देहात के अन्तर्गत आपलोगों ने वादी की बहू नीरजा देवी व भतीजे नीरज के मोटरसाइकिल सं.CDDAM पर बाइक से धक्का मारकर, गिराकर मु.३१०००/–रू० से भरा बैग छुड़ाकर लूटकर भाग गये। आपलोगों का उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा–३९४ के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान में आपलोंगों द्वारा वादी की बहू नीरजा देवी व भतीजे नीरज के मोटरसाइकिल सं.CDDAM पर बाइक से धक्का मारकर, गिरा दिया गया जिसमें आयी चोटों के कारण नीरजा देवी के पेट में पल रहा बच्चा खत्म हो गया। आपलोगों का उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा–३१६ के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

३. यह कि दिनांक २५.०५.२०१६ को अंगदपुर मोड पर हाइवे के किनारे रखी गुमटी के पास थाना डेरापुर, कानपुर देहात के अन्तर्गत आप अभियुक्त रामदास संखवार को पुलिसपार्टी द्वारा पकड़ा गया तथा आपके कब्जे से उपरोक्त कथित लूट से संबंधित मु.५५००/–रू० बरामद हुए तथा अभियुक्त संजय कुमार भाग गया। आपलोगों का उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा–४११ के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपलोगोंको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपलोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दि.२४.०५.२०१७

(विजेन्द्र सिंह)
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण चाहा।

दि.२४.०५.२०१७

(विजेन्द्र सिंह)
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)

**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।</u>**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–३६/२०१७

सरकार ..................................बनाम.......................संजय कुमार आदि।

धारा–३९४,३१६,४११ भा०दं०सं०।

थाना–डेरापुर, कानपुर देहात।

<u>दि.२४.०५.२०१७</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

अभियुक्तगण संजय कुमार व रामदास संखवार मय विद्वान अधिवक्ता है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उन तथ्यों, साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिनके आधार पर अभियुक्तगण का परीक्षण किया जाना है। मैंने केस डायरी में विवेचनाधिकारी द्वारा गवाहों के लिखे मौखिक बयानों तथा विवेचक द्वारा केस डायरी में संलग्न पुलिस अभिलेखों का परिशीलन किया है। बचावपक्ष ने मेरे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार न हो। दूसरे शब्दों में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोपपत्र बेबुनियाद नहीं है। कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण आरोप अं०धारा–३९३,३१६,४११ भा०दं०सं० के आरोप से आरोपित किये जाने योग्य है।

तदानुसार अभियुक्तगण को धारा–३९४,३१६,४११ भा०दं०सं० के आरोप से आरोपित किया गया। लगाये गये आरोप का विवरण अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर परीक्षण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि. को पेश हो। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब किये जायें।

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)कानपुर देहात।